


पत्र संख्या : शिक्षा /कांगड़ा /जी-3 (Renaming of School)/2022-
कार्यालय उप शिक्षा निदेशक उच्च
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

दिनांक धर्मशाला -176215

सेवा में

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च पाठशाला
जिला कांगड़ा।



विषय : Regarding Renaming of Schools.

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर निदेशक शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला के कार्यालय पत्र संख्या EDN-H(6)4/2023-24-(Renaming)norms दिनांक 04 जुलाई 2024 तथा EDN-H(6)1(25)4/2024-25(renaming) दिनांक 27 सितम्बर 2024 के संदर्भ में।

इस संदर्भ में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि यदि किसी भी विद्यालय ने शहीद/अन्य गणमान्य विभूति के नाम पर सम्बन्धित पाठशाला का नाम रखने बारे पहले आवेदन किया है तथा अभी तक विद्यालय का नामकरण नहीं हुआ है तो आप अपने अपने विद्यालय से सम्बन्धित मामलों को सरकार द्वारा निर्धारित नये मानदंडों/दिशा निर्देशों के अनुरूप पुनः इस कार्यालय में विशेष संदेशवाहक के माध्यम से प्रस्तुत करें ताकि मामलों को अगामी कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा सके। किसी भी प्रकार की कोताही के लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक जिम्मेदार होंगे। नये मानदंडों/दिशा निर्देशों की प्रति साथ सलंगन है।

इसे अति आवश्यक समझें।

सलंगन : यथोपरि


उप शिक्षा निदेशक उच्च
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या:


सम

धर्मशाला-176215

.....13.11.2024

प्रतिलिपि :

1. निदेशक शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. रक्षक नस्ति।


उप शिक्षा निदेशक उच्च
कांगड़ा स्थित धर्मशाला